

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कल्पना बनाम रामा अवतार वगैरह  
 किस्म मुकदमा-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सीपीसी  
 प्रकरण संख्या 411/2025 (पूह)

नोटिस जारी जाके है  
 प्राप्ति 01.10.25  
 खारिज  
 29/9/25

<p>25.08.2025</p>	<p>श्री दीपक पारीक एड                  कल्पना बनाम रामा अवतार (2025/411)                  यह प्रार्थना पत्र श्री दीपक पारी एडकोकेट ने न्यायालय हाजा के द्वारा अपील संख्या 344/2025 उनवानी रामअवतार बनाम कल्पना में पारित आदेश दिनांक 21.07.2025 के विरुद्ध अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 जा.दी. एवं पुनर्विलोकन याचिक के तहत पेश किया गया। प्रार्थना पत्र वाद जांच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र वाद जांच रिपोर्ट होकर पेश किया गया, प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अभिभाषक प्रार्थी को स्थगन प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया।                  अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया एव प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन हम अंतरिम स्थगन आदेश निर्णित करने से पूर्व अप्रार्थीगण सुनना न्यायहित में उचित समझते है।                  अतः अप्रार्थी संख्या 01 से 24 को नोटिस जारी किये जाकर मिसल दिनांक 31.10.2025 को पेश हो।</p>
<p>26.9.25</p>	<p>राजस्व अपील प्राधिकारी                  अपील द्वारा प्राप्ति प्रकरण में श्री दीपक पारीक की जांच वाद की जांचे नोटिस खासि किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र के तहत की गई अपील प्राधिकारी ने प्रार्थना पत्र के प्रार्थी को उक्त प्रकरण को खोले नही चलाकर जैसे नोटिस खासि कवाना चाली है। प्राप्ति स्वीकार किया जाकर प्रकरण को नोटिस किये जाने से खासि किये जाने के अन्तर्गत प्रकरण प्रार्थी अपील प्राधिकारी ने सहित प्रकरण पर नोटिस किये जाने से हलनाकार किये।                  अतः अपील प्राधिकारी अन्तर्गत अपील प्राधिकारी द्वारा प्राप्ति चलाये जाने के अन्तर्गत नोटिस किये जाने से खासि की जाती है।                  पत्रावली प्रमाणपत्र की क नम्बर के अन्तर्गत</p>

Notified  
 26/9/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी  
 अजमेर



न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

प्रार्थना पत्र/पुनीविलोकन याचिका संख्या 411/2025

2025/411

982  
श्री दीपक चारी 4-10-25  
शान्ति 0.01.25 15/5/25  
श्री अशोक शिव  
श्री अशोक शिव

कल्पना पुत्री भगवान सहाय पत्नि अश्विनी कुमार जाति ब्राह्मण,  
निवासी विचून हाल निवासी ई-123, बैंक कॉलोनी, मुरलीपुरा  
स्कीम, जयपुर।

.....प्रार्थीया

बनाम

रामा अवतार पुत्र सुवालाल, जाति ब्राह्मण, निवासी विचून तहसील  
मौजमाबाद जिला जयपुर।

-अप्रार्थी

411/2025  
25/5/25

2. भंवरलाल पुत्र रामानन्द
3. अरविन्द पुत्र मोहनलाल
4. शंकर पुत्र रामानन्द
5. गोविन्द सहाय पुत्र रामानन्द समस्त जाति ब्राह्मण निवासी विचून मौजमाबाद जयपुर
6. श्रीमती शांति देवी पत्नि कैलाश  
समस्त निवासीगण 4/60, केसरीचंद नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
7. प्रशान्त पुत्र कैलाश
8. शोभा पुत्री कैलाश
9. प्रतिमा पुत्री कैलाश
10. विनिता पुत्री कैलाश
11. प्रीति पुत्री कैलाश
12. समीक्षा पुत्री कैलाश  
समस्त निवासीगण 4/60, केसरीचंद नगर, अजमेर रोड, जयपुर।
13. राजेन्द्र पुत्र छीतरमल
14. प्रदीप पुत्र छीतरमल
15. सत्यनारायण पुत्र मोतीलाल
16. राजेन्द्र पुत्र मोतीलाल

लगातार.....2

₹

17. कन्हैयालाल (मृतक)
  - 17/1. श्रीमती शकुन्तला पुत्री स्व. कन्हैयालाल
  - 17/2. श्रीमती इन्दुमती पत्नि रामावतार पुत्री स्व. कन्हैयालाल
  - 17/3. सुश्री सुमन जोशी पुत्री स्व. श्री कन्हैयालाल
18. मदनलाल पुत्र हनुमान  
समस्त जाति ब्राह्मण, निवासीगण बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
19. देवेन्द्र पुत्र मदनलाल जोशी, निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
20. योगेन्द्र पुत्र कन्हैयालाल
21. रविन्द्र पुत्र मदनलाल  
समस्त जाति ब्राह्मण, निवासीगण बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
22. सुधिन्द्र जोशी पुत्र श्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण, निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
23. तहसीलदार, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
24. उपपंजीयन अधिकारी महोदय, मौजमाबाद जिला जयपुर।

तहसील अंप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 21 व 151 सी.  
पी.सी. एवं पुर्नविलोकन योचिका मुकदमा नं.  
344/2025 उनवानी रामावतार बनाम कल्पना  
निर्णय दिनांक 21.07.2025 में पारित किया  
गया।

मान्यवर,

माननीय न्यायालय से प्रार्थीया की ओर से निम्न निवेदन है कि:-

प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया ने एक वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का उपखण्ड अधिकारी महोदय मौजमाबाद जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके

लगातार.....3

2